प्रेस विज्ञप्ति

12/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, इसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े मामले की जांच के संबंध में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में स्थित 762.47 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बीएसएफसी, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला मेसर्स पीएसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है, जिनका उद्देश्य निवेशकों को धोखा देना और ठगना था। इन भ्रामक योजनाओं के माध्यम से, मेसर्स पीएसीएल ने अपने निदेशकों और अन्य लोगों के माध्यम से अनजान निवेशकों से लगभग 48,000 करोड़ रुपये एकत्र किए और उनका दुरुपयोग किया, जो कि पीओसी के अलावा और कुछ नहीं है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि लाखों भोले-भाले निवेशकों से धोखाधड़ी से एकत्रित धन को व्यवस्थित रूप से कई लेन-देन के माध्यम से इधर-उधर किया गया और उनके अवैध स्रोतों को छुपाया गया। इस दागी धन का उपयोग अंततः दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू (मेसर्स पीएसीएल के प्रमोटरों में से एक), उनके परिवार के सदस्यों और मेसर्स पीएसीएल से संबंधित संस्थाओं के नाम पर 68 अचल संपत्तियाँ खरीदने में किया गया, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 762.47 करोड़ रुपये है। ऐसा जानबूझकर इन संपत्तियों की वास्तविक प्रकृति को छिपाने और उन्हें वैध संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, जिससे अपराध की आय को वैध संपत्ति के रूप में छिपाने का प्रयास किया गया।

मामले में आगे की जांच जारी है।